प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 14.10.2025

➢ **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सरकारी ट्यूबवेल के स्टार्टर के पार्ट्स चोरी करने वाले 01 शातिर चोर को चोरी के सामान के साथ किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 12.10.2025 को ग्राम बिदखुरी में सरकारी ट्यूबवेल के स्टार्टर के पार्ट्स चोरी करने वाले अभियुक्त विजय बाबू पुत्र हीरालाल निवासी कालोनी मोहाल बरौर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात को स्थानीय लोगों द्वारा चोरी करते समय पकड़ लिया। ग्रामीणों द्वारा अभियुक्त विजय बाबू उपरोक्त को पुलिस के सुपुर्द किया गया। थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त विजय बाबू उपरोक्त को दिनांक 13.10.2025 को समय करीब 23.20 बजे थाना परिसर से हिरासत में लिया गया । अभियुक्त के विरुद्ध चोरी के सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 353/2025 धारा 303(2)/317(2) भारतीय न्याय संहिता-2023 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये स्टार्टर का सामान, पेचकश, प्लास तथा अभियुक्त की निशांदेही पर 05 छोटे-बड़े स्टार्टर के पार्ट्स व तांबा का तार (करीब 2.15 कि0ग्रा0) बरामद किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. विजय बाबू पुत्र हीरालाल उम्र करीब 35 वर्ष निवासी कालोनी मोहाल बरौर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 12.10.2025 को मैंने बिदखुरी में सरकारी नलकूप से स्टार्टर का कुछ सामान चोरी किया था मैने एक बोरी में ग्राम बिदखुरी की मडैया के पास बने गन्ना पिरायी के खण्डहर में छुपा दिया था कल दोबारा से चोरी करने के लिए गया था तब नलकूप वाले साहब ने ग्रामीणों की मदद से मुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया था और डायल 112 को कॉल कर थाना ले आये थे।

बरामदगी का विवरण –

1. 05 छोटे बडे स्टार्टर के पार्ट्स
2. तांबा का तार वजन करीब 2.15 कि0ग्रा0
3. पेंचकश व प्लास।

अभियुक्त विजय बाबू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 38/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बरौर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 309/2023 धारा 379/411 भादवि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 52/2024 धारा 379 भादवि0 थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 200/2024 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात
5. मु0अ0सं0 353/2025 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना भोगनीपुर कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना भोगनीपुर पुलिस